न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला अलवर

अध्यासित द्वारा:— ओमप्रकाश सहारण ,आर.ए.एस.

मु.न.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
220 / 21	10.12.2021	12.01.2022

पर्चाडिकी

उनवान

1. कुर्शेद पुत्र नुरू उर्फ नूरमोहम्मद
2. समीना बेवा फजरू
3. मुस्तकीम उम्र 13 साल
4. मुरसलीम उम्र 10 साल
5. अन्सार उम्र 09 साल
6. मुबारिक उम्र 07 साल
7. अहसान उम्र 05 साल
8. सुफियान उम्र 03 साल पुत्रान फजरू नाबालिग जरिये नैक्स्ट फेन्ड वली सरपरस्त माता खुद समीना जाति मेवान निवासी बृसंगपुर मेदावास तहसील किशनगढबास जिला अलवर

:—वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगढबास जिला अलवर राज.

:— प्रतिवादी

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89, 188

....

उपस्थिति :—

1. श्री राजेश शर्मा वकील वादीगण की और से।
2. प्रतिवादी की और से पैरोकार सरकार

....

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण को हाल आराजी खसरा नम्बर 858 रकबा 4.06 हे. मे से 4.0125 हे. , 783 रकबा 0.68 हे. मे से 0.5875 हे. , 782 रकबा 0.63 हे. मे से 0.4625 हे. एवं खसरा नम्बर 708 रकबा 0.52 हे. मे से 0.0875 हे. कुल किता 4 रकबा 5.89 हे. मे से 5.15 हे. हे. वाके ग्राम बृसंगपुर तहसील किशनगढबास

सत्यप्रतिलिपि
रीडर
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना है ताहाल राजस्व रिकार्ड मे दर्ज सिचायचक को आराजी खसरा नम्बर 858 रकबा 4.06 हे. मे से 4.0125 हे. , 783 रकबा 0.68 हे. मे से 0.5875 हे. , 782 रकबा 0.63 हे. मे से 0.4625 हे. एवं खसरा नम्बर 708 रकबा 0.52 हे. मे से 0.0875 हे. कुल किता 4 रकबा 5.89 हे. मे से 5.15 हे. हे. वाके ग्राम बृसंगपुर तहसील किशनगढबास के हिस्से की जद तक कलमजन कर वादी सख्या 1 को समभाग एवं वादी सख्या 2 लगायत 8 को समभाग हिस्से का खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है आराजी उक्त की किस्म मुताबिक हाल राजस्व रिकार्ड यथावत बदस्तुर रहेगी। तदनुसार ही राजस्व रिकार्ड मे अमल हो।

(ओमप्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास

सत्यप्रतिलिपि
रीडर
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास (अलवर) सत्यमेव जयते

आवेदक का नाम मय पता........आस मोहम्मद
आवेदन प्रस्तुत करने का दिनांक........प्रा० 17.1.22
प्रतिलिपि तैयारी दिनांक........17.1.22
प्रतिलिपि जारी करने का दिनांक........17.1.22
प्रतिलिपि शुल्क राशि........8/-

कोर्ट फी COURT FEE Rs.2 भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY (×4)

प्रतिलिपि मु.न. 220/21 उनवान कुर्शेद बनाम सरकार नि.ति. 12.01.2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला अलवर

अध्यासित द्वारा:– ओमप्रकाश सहारण ,आर.ए.एस.

मु.न.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
220/21	10.12.2021	12.01.2022

उनवान

1. कुर्शेद पुत्र नुरू उर्फ नूरमोहम्मद
2. समीना बेवा फजरू
3. मुस्तकीम उम्र 13 साल
4. मुरसलीम उम्र 10 साल
5. अन्सार उम्र 09 साल
6. मुबारिक उम्र 07 साल
7. अहसान उम्र 05 साल
8. सुफियान उम्र 03 साल पुत्रान फजरू नाबालिग जरिये नैक्स्ट फेन्ड वली सरपरस्त माता खुद समीना जाति मेवान निवासी बृसंगपुर मेदावास तहसील किशनगढवास जिला अलवर

:–वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगढबास जिला अलवर राज.

:– प्रतिवादी

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89, 188

....

उपस्थिति :–

1. श्री राजेश शर्मा वकील वादीगण की और से।
2. प्रतिवादी की और से पैरोकार सरकार

....

वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का सुक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से है:–

वकील वादीगण ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम बृसंगपुर तहसील किशनगढबास के हाल आराजी खसरा नम्बर 858 रकबा 4.08 हे. 783 रकबा 0.68 हे. , 708/0.52 हे., 782/0.63 हे. जिसके साबिक खसरा नम्बर क्रमश : 570 मिन /16–01 बीघा, 570 मिन रकबा 2–07 बीधा , 487 मिन रकबा 0–03 बिस्वा, 576 मिन रकबा 0–04 बिस्वा , 844, 846, 50 मिन , 487 मिन , 570 मिन से कायम किये गये है इसी कदर ग्राम बाघोडा मे

सत्यप्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

हाल खसरा नम्बर 468 रकबा 0.96 हे., 474 रकबा 0.63 हे. किता दो रकबा 1.59 हे. साबिक खसरा नम्बर 584, 585, 586, 590, 593, 609, 610 से कायम हुये है ।

विवादित आराजीयात वाके ग्राम बृसंगपुर व बाधोडा मिन वादीगण की बुजुर्गान की जा काश्त खातेदारी की आराजी रही है जिसपर वादीगण का परदादा चांदमल व दादा ना व पिता नूरू उर्फ नूर मोहम्मद व फजरू पुत्रान चुन्ना मेवान सदैव से ही काबिज काश्त है है। जिसके नाम का अंकन मिसल हकीयत सम्वत 2029 से पूर्व के साबिक जमाबन्दीयो मे अंकित किया हुआ है यहा यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि वर्तमान सीमा ग्राम बाघोडा मे स्थित आराजी पूर्व मे सीमा ग्राम बृसंगपुर क्षेत्र पडती थी चूकी ग्राम बृसंगपुर व बाधोडा की सीमाऐ आपस मे मिली हुई है हाल खसरा नम्बर 468, 474 वर्तमान मे सीमा ग्राम बाघोडा मे स्थापित कर दी थी। मुतनाजा आराजी पर वादीगण व उनके बुजुर्ग जायज अज 100–125 वर्षो से लगातार काश्त करते आ रहे है किन्तु सिवायचक के अंकन के बाद वादीगण व उनके दादा व पिता को अतिक्रमी मानते हुए धारा 91 एलआरएक्ट के तहत नोटिस जारी करना आरम्भ कर दिया। साबिक जमाबन्दी सम्वत 1990 मे मुतनाजा आराजी पर वादीगण के परदादा चुन्ना खां व रहीम खां के नाम का अंकन खातेदारी सम्वत 2013, 2017–20 व 2028 मे लगातार दर्ज चला आ रहा है किन्तु सैटलमेन्ट विभाग ने खिलाफ कानून व खिलाफ मौका सम्वत 2029 तैयार करते समय सिवायचक लगानी दर्ज कर दी । जो अंकन हकूक वादीगण के विरूद्व बातिल वो बेअसर है काबिले दुरूस्ती है चुकी मुतनाजा आराजी पर वादीगण के पूर्वजो मृतक चांदमल , मृतक चुन्ना व मृतक नुरू उर्फ नूरमोहम्मद के अतिरिक्त किसी दीगर का कब्जा काश्त नही रहा और ना आज ही है।

वादीगण के पूर्वजो के नाम पी–14 सम्वत 2060, 2065, 2066, 2067 मे अंकित है खसरा गिरदावरी सम्वत 2007, 2010, 2014–17 मे भी वादीगण के परदादा चुन्ना व रहीमबक्ख समभाग मे काश्त होना अंकित है साबिक जमाबन्दी सम्वत 2009 मे भी चुन्ना व रहीमबक्श पि. चांन्दमल बहिस्से बराबर का अंकन दर्ज किया हुआ है इसी प्रकार से वीदगण उनके बुजुर्ग आराजी विवादित पर जायज अज सैकडो सालो से लगातार काबिज काश्त चले आ रहे है जिसकी कि रिकार्डेड काश्त दर्ज रिकार्ड पटवार चली आ रही है जिन्होने की लाखो की पैनल्टीयां जमा राजकोष कराई है ऐसी सूरत मे बाईआपरेशन आफ ला वादीगण के हक हकूक खातेदारी प्रदान किया जाना उचित एवं न्यायोचित है चूकी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट व राजस्थान बिस्वेदारी अधिनियम रायज होने के रोज भी वादीगण के पूर्वज मुतनाजा आराजी पर काबिज काश्त रहे है उनके फौत होने के बाद हम वादीगण काबिज काश्त है अतः वादीगण को आराजी के समभाग के खातेदार घोषित किया जाकर खातेदारी दर्ज कराई जावे। इस प्रकार की घोषणा वादीगण कराने के अधिकारी है अतः दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज दायर करना लाजिम आया है।

उपखण्ड अधिकारी (अलवर)

सत्यप्रतिलिपि
रीडर
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

FOR COPYING FEES ONLY
FOR COPYING FEES ONLY

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

अतः प्रार्थना है कि वाद वादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावेः–

यह है कि डिक्री इश्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज पारित की जाकर करार दिया जावे कि वादीगण राजस्व ग्राम बृसंगपुर तहसील किशनगढबास के हाल आराजी खसरा नम्बर 858 रकबा 4.08 हे. 783 रकबा 0.68 हे. , 708/0.52 हे., 782/0.63 हे. जिसके साबिक खसरा नम्बर कमश : 570 मिन /16–01 बीघा, 570 मिन रकबा 2–07 बीधा , 487 मिन रकबा 0–03 बिस्वा, 576 मिन रकबा 0–04 बिस्वा , 844, 846, 50 मिन , 487 मिन , 570 मिन से कायम किये गये है इसी कदर ग्राम बाघोडा मे स्थित हाल खसरा नम्बर 468 रकबा 0.96 हे., 474 रकबा 0.63 हे. किता दो रकबा 1.59 हे. जिसके साबिक खसरा नम्बर 584, 585, 586, 590, 593, 609, 610 से कायम किये गये है के काबिज काश्तकारान है काबिज वो दखिल है जो आराजी वादीगण की दादालाई की पैत्रिक भूमि है अतः मौजूदा इन्द्राज जो सिवायचक सरकारी के नाम का अंकन हो रहा है वह खिलाफ मौका खिलाफ कानून है तथा हजफ किये जाने योग्य है जिसे वादीगण हजफ कराकर अपने नाम का अंकन बतौर काश्तकार खातेदार समभाग की जद मे दर्ज कराने के अधिकारी है और इस प्रका की घोषणा वादीगण करा पाने के अधिकारी है वादीगण को आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने जबाब पेश कर निवेदन किया है कि वाद मे विवादित आराजी भू प्रबन्ध से पूर्व वादीगण के परदादा चुन्ना व रहीमबक्श पि. चान्दमल खातेदार दर्ज होना बताया गया। तथा भू. प्रबन्ध के पश्चातवर्ति जमाबन्दीया तमे आराजी उक्त को सिवायचक दर्ज रिकार्ड किया गया। वादीगण आराजी उक्त मे सिचायचक आराजी दुरूस्ती करा खातेदारी हकूक प्राप्त करना चाहते है । चूकी आराजी उक्त राजस्व रिकार्ड मे सिचायचक दर्ज रिकार्ड है जिस पर वादीगण को खातेदारी हकूक प्राप्त नही हो सकते है इसलिए वाद वादीगण को खारिज फरमाया जावे।

वकील वादीगण ने साक्ष्य के रूप मे पी.डब्ल्यू 1 कुर्शेद , पी.डब्ल्यू 2 समीना शपथ पत्र पेश किये । जो शामिल पत्रावली किये।

वकील वादीगण की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने वाद मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए वादीगण को डिक्री किये जाने की इश्तदुआ की।

हमने वकील वादीगण की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अध्योपान्त अवलोकन किया। विवादित आराजी वाके ग्राम बृसंगपुर तहसील किशनगढबास के हाल साबिक खसरा नम्बरान का विवरण निम्न प्रकार से है

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ-बास (अलवर)

सत्यप्रतिलिपि
रीडर
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

कोर्ट फी COURT FEE INDIA भारत Rs.2 दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

हाल खसरा नम्बर	साबिक खसरा नम्बर
3 रकबा 16 बीघा 01 बिस्वा	570 मी रकबा 16 बीघा 01 बिस्वा
83 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा	487 मी. रकबा 0–03 बिस्वा
	576 रकबा 0–04 बिस्वा
	570 मी. रकबा 2–07 बिस्वा
782 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा	488मी रकबा 0–03 बिस्वा
	546 रकबा 0–10 बिस्वा
	570मी रकबा 1 बीघा 0–17 बिस्वा
708 रकबा 2 बीघा 01 बिस्वा	487 मी रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा
	570 रकबा 0–07 बिस्वा

जैसा की हाल से साबिक आराजी वाके ग्राम बृसंगपुर पैमूद हुए है। जमाबन्दी सम्वत 2017 के अवलोकन से साबिक आराजी खसरा नम्बर 570 रकबा 20 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम बृसंगपुर किस्म बजंड कदीम चून्ना रहीमवक्स पुत्रादी चान्दमल समभाग सा. देह खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसका 20 बीघा 12 बिस्वा रकबा हाल आराजी खसरा नम्बर 858, 783, 782, 708 वाके ग्राम बृसंगपुर तहसील किशनगढबास से बना है। जिससे यह बाखूबी सावित होता है कि विवादित आराजी उक्त का साबिक खसरा नम्बर 570 रकबा 20 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम बृसंगपुर तहसील किशनगढबास वादीगण के बुजुर्गान की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी रही है जिसमे वादीगण के बुजर्गान के खातेदार दर्ज होने का अंकन वाखूवी जमावन्दी सम्वत 2017 से साबित होता है भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा जमावन्दी सम्वत 2029 कायम करते समय वादीगण की आराजी उक्त जो साबिक खसरा नम्बर 570 रकबा 20 बीघा 14 बिस्वा है जिसमे हाल खसरा नम्बर 858, 783, 782, 708 बने है जिन्हे सिवायचक लगानी दर्ज कर दिया गया। इस तरह के खातेदारी अधिकार का समाप्त करने का हक एवं अधिकारी भू. प्रबन्ध विभाग को हासिल नही था जबकी भू. प्रवन्ध विभाग द्वारा वादीगण के बुजुर्गान को पूर्वत जमाबन्दी के अनुसार खातेदार दर्ज करना चाहिए था। भू. प्रबन्ध से ताहाल रिकार्ड मे वादीगण के बुजुर्गान को सिवायचक दर्ज किया गया वो न्याय एवं विधि के सिद्वान्तो के विपरित है वादीगण के हक हकूको के खिलाफ है जिसे हम दुरूस्त किया जाकर भू. प्रबन्ध से ताहाल रिकार्ड मे वादीगण को पूर्वत जमाबन्दी सम्वत 2017 के अनुसार साबिक आराजी 20 बीघा 14 बिस्वा मे से 20 बीघा 12 बिस्वा का हाल राजस्व रिकार्ड खसरा नम्बर 858, 783, 782, 708 वाके ग्राम बृसंगपुर तहसील किशनगढबास मे अमल खातेदारी किया जाना उचित एवं न्यायसंगत समझते है। इसलिए साबिक खसरा नम्बर 570 रकंबा 20 बीघा 14 बिस्वा जमाबन्दी सम्वत 2017 के आधार पर हाल खसरा नम्बर 858 रकबा 4.06 हे. मे से 4.0125 हे. , 783

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

सत्यप्रतिलिपि
रीडर
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

खण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
किशनगढ़-बास (अलवर)

रकबा 0.68 हे. मे से 0.5875 हे. , 782 रकबा 0.63 हे. मे से 0.4625 हे. एवं खसरा नम्बर 708 रकबा 0.52 हे. मे से 0.0875 हे. कुल किता 4 रकबा 5.89 हे. मे से 5.15 हे. हे. वाके ग्राम बृसंगपुर तहसील किशनगढबास के काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित है तदनुसार ही राजस्व रिकार्ड मे वादीगण के नाम का अंकन सिचायचक से खातेदार किया जाना उचित एवं न्याय के सिद्वान्त के अनुसार है वाद वादीगण काबिले डिक्री करार पाता है।

अतः आदेश हैः–

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण को हाल आराजी खसरा नम्बर 858 रकबा 4.06 हे. मे से 4.0125 हे. , 783 रकबा 0.68 हे. मे से 0.5875 हे. , 782 रकबा 0.63 हे. मे से 0.4625 हे. एवं खसरा नम्बर 708 रकबा 0.52 हे. मे से 0.0875 हे. कुल किता 4 रकबा 5.89 हे. मे से 5.15 हे. हे. वाके ग्राम बृसंगपुर तहसील किशनगढबास काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना है ताहाल राजस्व रिकार्ड मे दर्ज सिचायचक को आराजी खसरा नम्बर 858 रकबा 4.06 हे. मे से 4.0125 हे. , 783 रकबा 0.68 हे. मे से 0.5875 हे. , 782 रकबा 0.63 हे. मे से 0.4625 हे. एवं खसरा नम्बर 708 रकबा 0.52 हे. मे से 0.0875 हे. कुल किता 4 रकबा 5.89 हे. मे से 5.15 हे. हे. वाके ग्राम बृसंगपुर तहसील किशनगढबास के हिस्से की जद तक कलमजन कर वादी सख्या 1 को समभाग एवं वादी सख्या 2 लगायत 8 को समभाग हिस्से का खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है आराजी उक्त की किस्म मुताबिक हाल राजस्व रिकार्ड यथावत बदस्तुर रहेगी। तदनुसार ही राजस्व रिकार्ड मे अमल हो। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा वादीगण स्वयं वहन करेगे। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमिल दाखिल लेख भण्डार हो सुना गया।

उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते किशनगढ़-बास (अलवर)

सत्यप्रतिलिपि
रीडर
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

(ओमप्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

आवेदक का नाम मय पता...... इलियास मोहम्मद
आवेदन प्रस्तुत करने का दिनांक...... 590/17-1-22
प्रतिलिपि तैयारी दिनांक...... 17-1-22
प्रतिलिपि जारी करने का दिनांक...... 17-1-22
प्रतिलिपि शुल्क राशि...... 20/-